भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3979

जिसका उत्तर 12 दिसंबर, 2019 को दिया जाना है।

.....

एक राष्ट्र एक नदी ग्रिड

3979. श्री पल्लब लोचन दास:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में बड़ी नदियों को जोड़ने के लिए एक राष्ट्र एक नदी को कार्यान्वित करने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु कितनी निधि आबंटित की गई है; और

(घ) राज्य सरकारों द्वारा बाढ़ और अपरदन नियंत्रण योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितना व्यय किया गया है?

उत्तर

जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया)

(क) और (ख) अगस्त, 1980 में तत्कालीन सिंचाई मंत्रालय (अब जल शक्ति मंत्रालय) ने अंतर-बेसिन जल अंतरण के जरिए जल संसाधनों के विकास हेतु एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) तैयार की थी, जिसका उद्देश्य जल की अधिकता वाले बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों में जल अंतरण करना है। एनपीपी के अंतर्गत, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए) ने साध्यता रिपोर्ट (एफआर) तैयार करने हेतु 30 नदी जोड़ों (प्रायद्वीपीय घटक के तहत 16 तथा हिमालयी घटक के तहत 14) की पहचान की है। सभी 30 लिंकों की पूर्व-साध्यता रिपोर्टें पूर्ण कर ली गई हैं और संबंधित राज्यों को परिचालित कर

दी गई है। प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत 14 लिंकों एवं हिमालयी घटक के 2 लिंकों की साध्यता रिपोर्टें तैयार कर ली गई है। हिमालयी घटक के अंतर्गत 7 लिंकों के प्रारूप साध्यता रिपोर्टें भी पूर्ण कर ली गई हैं।

एनपीपी के अंतर्गत, प्रायद्वीपीय नदी घटक के तहत विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) को तैयार करने के लिए चार प्राथमिकता लिंकों की भी पहचान की गई 3 लिंकों की डीपीआर एवं 1 लिंक का प्रारूप डीपीआर तैयार कर संबंधित राज्यों को भेज दिया गया है।

(ग) कोई भी आईएलआर परियोजना क्रियान्वयन के चरण तक नहीं पहुंची है और अतः इस उद्देश्य के लिए कोई निधि आबंटित नहीं की गई है।

(घ) बाढ़ प्रबंधन और तट कटावरोधी स्कीमों की आयोजना, जांच और कार्यान्वयन, राज्य सरकारों द्वारा राज्य की स्वयं की प्राथमिकता के अनुसार स्वयं के संसाधनों से किया जाता है। केन्द्र सरकार गंभीर क्षेत्रों में बाढ़ प्रबंधन के लिए राज्यों को तकनीकी दिशा-निर्देश और प्रोत्साहनात्मक वित्तीय सहायता देकर राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। भारत सरकार द्वारा 11वीं योजना अवधि में नामत: 'बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम' शुरू किया गया था, ताकि नदी प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण, तट कटावरोधी, जल निकास विकास, बाढ़ प्रूफिंग निर्माण कार्य, क्षतिग्रस्त बाढ़ प्रबंधन निर्माण कार्यों और समुद्र तट कटावरोधी निर्माण कार्यों के पुनरूद्धार से संबंधित कार्यों को शुरू करने के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जा सके जिसे 12वीं योजना के दौरान भी जारी रखा गया। वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान समूचे देश में बाढ़ प्रबंधन निर्माण कार्यों तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में नदी प्रबंधन कार्यकलापों और निर्माण कार्यों के लिए एक स्कीम अर्थात् 'बाढ़ प्रबंधन और सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम' (एफएमबीएपी) का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसका परिव्यय 3342 करोड़ रूपए है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को XIवीं योजना से मार्च, 2019 तक केन्द्रीय सहायता के रूप में 5863.95 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई है जिसका ब्योरा **अनुलग्नक** में दिया गया है।

******

अनुलग्नक

"एक राष्ट्र एक नदी ग्रिड" के विषय पर दिनांक 12.12.2019 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 3979 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

XIवीं और XIIवीं योजना, वित्त वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी)/एफएमबीएपी योजना के बाढ़ प्रबंधन घटक के अंतर्गत राज्य-वार अनुमोदित कार्य, पूर्ण कार्य एवं जारी निधि

(करोड़ रूपए)

क्र.सं.	राज्य	XI योजना			XII योजना			कुल (XI + XII योजना) स्थिति					
		अनुमोदित कार्य		जारी निधि (XI योजना)	अनुमोदित कार्य		जारी निधि (XII योजना)	अनुमोदित कार्य		कुल जारी निधि (XI योजना + XII योजना)	वित्त वर्ष: 2017-18 के दौरान जारी निधि	वित्त वर्ष: 2018-19 के दौरान जारी निधि	जारी कुल निधि
		संख्या	अनुमानित लागत		संख्या	अनुमानित लागत		संख्या	अनुमानित लागत				
1	अरुणाचल प्रदेश	21	224.69	81.69	0	0.00	87.91	**21**	**224.69**	**169.60**	21.18		**190.78**
2	असम	100	996.14	748.86	41	1386.97	64.89	**141**	**2383.11**	**813.75**	245.49	142.12	**1201.36**
3	बिहार	43	1370.42	723.18	4	447.63	184.64	**47**	**1818.05**	**907.82**		16.58	**924.40**
4	छत्तीसगढ़	3	31.13	15.57	0	0.00	3.75	**3**	**31.13**	**19.32**			**19.32**
5	गोवा	2	22.73	9.98	0	0.00	2.00	**2**	**22.73**	**11.98**			**11.98**
6	गुजरात	2	19.79	2.00	0	0.00	0.00	**2**	**19.79**	**2.00**			**2.00**
7	हरियाणा	1	173.75	46.91	0	0.00	0.00	**1**	**173.75**	**46.91**			**46.91**
8	हिमाचल प्रदेश	3	225.32	165.98	4	1139.62	221.87	**7**	**1364.94**	**387.85**	87.50	162.60	**637.95**

9	जम्मू और कश्मीर	28	408.22	252.57	15	562.47	169.95	**43**	**970.69**	**422.52**	110.40	52.20	**585.12**
10	झारखंड	3	39.30	18.44	0	0.00	4.27	**3**	**39.30**	**22.71**			**22.71**
11	कर्नाटक	3	59.46	23.80	0	0.00	0.00	**3**	**59.46**	**23.80**			**23.80**
12	केरल	4	279.74	63.68	0	0.00	55.22	**4**	**279.74**	**118.90**	19.05		**137.95**
13	मणिपुर	22	109.34	66.34	0	0.00	24.36	**22**	**109.34**	**90.70**			**90.70**
14	मेघालय	0	0.00	3.81	0	0.00	0.00	**0**	**0.00**	**3.81**			**3.81**
15	मिजोरम	2	9.13	14.48	0	0.00	1.93	**2**	**9.13**	**16.41**	0.48		**16.89**
16	नागालैंड	11	49.35	28.96	6	74.52	54.17	**17**	**123.87**	**83.12**		10.84	**93.96**
17	ओडिशा	67	169.00	101.12	1	62.32	0.00	**68**	**231.32**	**101.12**			**101.12**
18	पुदुच्चेरी	1	139.67	7.50	0	0.00	0.00	**1**	**139.67**	**7.50**			**7.50**
19	पंजाब	5	153.40	40.43	0	0.00	0.00	**5**	**153.40**	**40.43**			**40.43**
20	सिक्किम	28	104.92	83.69	17	261.40	8.15	**45**	**366.32**	**91.84**			**91.84**
21	तमिलनाडु	5	635.54	59.82	0	0.00	0.00	**5**	**635.54**	**59.82**			**59.82**
22	त्रिपुरा	11	26.57	23.62	0	0.00	0.00	**11**	**26.57**	**23.62**			**23.62**
23	उत्तर प्रदेश	26	667.57	290.69	3	291.70	111.22	**29**	**959.27**	**401.91**	13.55	15.57	**431.03**
24	उत्तराखंड	12	119.82	49.63	10	715.72	153.98	**22**	**835.54**	**203.61**		4.63	**208.24**
25	पश्चिम बंगाल	17	1822.08	643.26	1	438.94	158.75	**18**	**2261.02**	**802.01**	65.03	23.65	**890.68**
	□□□	**420**	**7857.08**	**3566.00**	**102**	**5381.28**	**1307.07**	**522**	**13238.36**	**4873.07**	**562.67**	**428.20**	**5863.95**